कार्यालय
मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी, गुरुग्राम
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

वन परिसर, सोहना रोड़, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष – 0124–2320981, Email: **cf.gurgaon@gmail.com**

क्रमांकः– 3741 दिनांकः– 20.1.23

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
फरीदाबाद।

विषयः **Diversion of 2.031 ha. of forest land for construction of Sr. Sec. School along with Surajkund Badkhal Road KM 6-7, L Side at Village Mewla Maharajpur, Sector 43, Faridabad under forest Division and District Faridabad, Haryana.**

संदर्भः– **आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 958 दिनांक 03.01.2023**

———0———

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके सन्दर्भांकित पत्र के अवलोकन उपरांत आपको बिंदुवार स्थिति स्पष्ट करने बारे निर्देश दिए जाते हैः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 9-HRB094/2022-CHA dated June,2022 (प्रति संलग्न) अनुसार वर्ष 2012 में गांव मेवला महाराजपुर में Society द्वारा MVN Technology and Solar Enegy System Research Institute हेतु 7.99254 है0 भूमि के डाईवर्जन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त वन भूमि लंबे समय से गैर–वानिकी उपयोग में है और इसे कम क्षेत्र के साथ अलग उद्धेश्य हेतु PLPA क्षेत्र में उल्लंघन दिखाए बिना प्रस्ताव फिर से भेजा गया है। किंतु आप द्वारा अवगत कराया गया है कि MVN Society द्वारा वर्ष 2011 में 7.99254 है0 वन भूमि के डाईवर्जन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था तथा वर्ष 2019 में अन्य उद्धेश्य के लिए 2.031 है0 वन भूमि के डाईवर्जन का केस भेजा गया था। कृपा इस स्थिति को स्पष्ट करने का कष्ट करे।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चण्डीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि Google Earth उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीर अनुसार उक्त भूमि कम से कम सितंबर, 2002 से गैर–वानिकी उपयोग में है और यह और भी अधिक हो सकती है क्योकि इससे पहले ओपन सोर्स Google Earth में डेटा उपलब्ध नहीं है। किंतु आप द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 10.03.2000 को नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा बिल्डिंग प्लान अपरूव किया गया तथा दिनांक 22.09.2003 व 06.07.2004 को Occupation Certificate जारी किया गया। इस प्रकार आपके उत्तर से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चण्डीगढ़ के प्रश्न का समाधान नही हुआ है।

3. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चण्डीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि Google Earth Image की KML फाईल अनुसार स्कूल की सीमा के साथ दिए गए बहुभुज अनुसार स्कूल के लिए टूटी हुई भूमि 4.5 है0 से अधिक है। किंतु आप द्वारा क्षेत्र बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चण्डीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र Manav Rachna International Institute of Research के समीप (150 Meter से कम) है। 13.684 है0 क्षेत्र के डाईवर्जन के लिए प्रस्ताव (FP/HR/SCH/41500/2019) पर CEC द्वारा दिनांक 11.01.2022 को आयोजित 46th सभा में चर्चा की गई जिसके निर्देशानुसार उक्त केस CEC को स्थानांतरित किया गया है तथा प्रयोक्ता एजेंसी को 13.684 है0 वन भूमि डाईवर्जन के बदले समान भूमि उपलब्ध करवाने बारे निर्देश दिए गए थे। किंतु आप द्वारा उक्त बारे क्या कार्यवाही की गई इस बारे स्पष्ट जवाब से अवगत नहीं करवाया गया है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा अवगत करवाया गया है कि MVN विधालय Manav Rachna International Institute of Research से लगता हुआ है जबकि दोनो के मध्य Institute of Road Traffic Education (IRTE) है। अतः इस बारे भी स्थिति स्पष्ट करे।

संलग्न / उपरोक्त।

मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,
गुरुग्राम।